संख्या-87/2018/1230/41-2018-16(बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2018

विषय- प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एयर स्ट्रिप के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8615/6-1-1(हेलीकाप्टर)/2018, दिनांक 27-03-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत प्रथमत: 05 स्थानों यथा- वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, लखनऊ एवं आगरा में हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में हेलीकाप्टर सेवा सुचारू संचालन के लिए 05 पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्यो हेतु गठित पृथक-पृथक आगणन के अनुसार निम्न तालिका के विवरणानुसार क्रमांक-2 में अंकित कार्य हेतु क्रमांक-3 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	**कार्य का नाम/सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग का खण्ड**	**आगणन की धनराशि**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति**
1	**2**	**3**	**4**
1	वाराणसी में हेलीपोर्ट का निर्माण प्रन्तीय खण्ड लो0नि0वि0, वाराणसी	494.65	494.65
2	इलाहाबाद में हेलीपोर्ट का निर्माण प्रन्तीय खण्ड लो0नि0वि0, इलाहाबाद	494.65	494.65
3	मथुरा में हेलीपोर्ट का निर्माण प्रन्तीय खण्ड लो0नि0वि0, मथुरा	494.65	494.65
4	लखनऊ में हेलीपोर्ट का निर्माण प्रन्तीय खण्ड लो0नि0वि0, लखनऊ	494.65	494.65
5	आगरा में हेलीपोर्ट का निर्माण प्रन्तीय खण्ड लो0नि0वि0, आगरा	494.65	494.65
	योग	**2473.25**	**2473.25**

(1) प्रस्तर-2 की तालिका में उल्लिखित स्थानों पर हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य सम्पादन से पूर्व प्रस्तावित ड्राइंग का परीक्षण एवं अनुमोदन भारत सरकार के डी0जी0सी0ए0 एवं अन्य रेगुलेटरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अथॉरटीज से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिटियॉं बनाये रखने का उत्तरदायित्व सम्बन्धत कार्यदायी संस्था का होगा, जिसका नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 20/2017/बी0-2-1775/दस-2017-244/2017,दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव एवं उपयोग हेतु महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी ताकि इस हेतु राज्य सरकार के ऊपर कोई व्यय-भार न पड़े।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(8) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत कार्य के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत ही भुगतान किया जायेगा तथा अधिरोपित जी0एस0टी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र पर्यटन निदेशालय के सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए शासन एवं अन्य सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था को सेन्टेज का भुगतान अनुमन्यता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

3- प्रस्तर-2 में हेलीपोर्ट निर्माण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटक अवसंरचना-103-पर्यटक परिवहन-03-पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकाप्टर सेवा का संचालन-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-305/दस-2018 दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-87/2018/1230/41-2018-16(बजट)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4।
9- सम्बन्धित संयुक्त् निदेशक/उपनिदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी ।
10- अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in